न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **119/2016** दायर तारीख :– **21.12.2016**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र घीसालाल जाति माली निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.07.2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि पटवार हल्का विराटनगर के खसरा नंबर 3192 रकबा 0.25 हैक्टेयर प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2069–72 है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि में से 100 वर्गमीटर पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्व हैं प्रतिवादीग द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकरी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज. सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।
2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2069–2072, फर्द मौका दिनांक 16.11.2016, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2069–2072 आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबंदी सवंत् 2069–2072 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 3192रकबा 0.25 हैक्टेयर प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

पैराकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर खसरा नंबर 3192 रकबा 0.25 हैक्टेयर में से 100 वर्गमीटर भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, बल्कि मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है। आराजी मुतनाजा का प्रतिवादी द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादीगण बिना भू–रूपान्तरण आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर केवल काश्त कर सकता है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी मुतनाजा का अकृषि उपयोग किया है, जो विधिक नहीं है तथा काश्तकारी शर्तो का उल्लघंन है। चूंकि प्रतिवादीगण के खाते में आराजी मुतनाजा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रतिवादीगण कृषि प्रयोजनार्थ से इतर भूमि का उपयोग/उपभोग नहीं कर सकता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 में यह स्पष्ट है कि ''अभिधारी अपनी जोत(भूमि) में भूमि के लिए अहितकारी कार्य या जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है उससे असंगत कार्य करेगा तो बेदखली का दायी होगा''। यहां यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने कृषि से इतर उपयोग किया है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। पैरोकार सरकार की बहस से स्पष्ट है कि वाद दायरी से पूर्व मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग किया जा रहा था। आराजी मुतनाजा कृषि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

आदेश

वादी (पैरोकार सरकार)का वाद डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम विराटनगर के खसरा नंबर 3192 रकबा 0.25 हैक्टेयर में से 100 वर्गमीटर भूमि को अकृषि उपयोग मौके पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी की खातेदारी हजफ कर अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 18.07.2019 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh
Yadav
Date: 2020.02.26 13:25:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: